२। II/अपील/अरिया/2018/0491

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

अपील प्रकरण क्र0/ /018

कमलेश कुमारजेठई तनय स्व0 रामचंन्द्र जेठई निवासी वार्ड नं0 बिरसिंहपुर पाली थाना व तहसील पाली जिलाउमरिया म0प्र0.

----अपीलांट

बनाम

शासन म0प्र0

---- रेस्पा0

अधि0श्री सर्वेन्द्र कुमार द्वारा पेश। 17-01-18

कार्यालय अधीक्षक कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल दिनांक 4.12.17 जो राजस्व अपील प्रकरण क्र0 99/अपील/2017-18 मे पारित किया जाकर अपीलांट की अपील निरस्त की गयी ।

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित है :-

(01) यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(02) यह कि अधीनस्थ न्यायालयने अपीलांट की अपील को ग्राह्यता के स्तर पर अग्राह्य किया हैजो आदेश अनुचित अनियमित एवं अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(03) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अनुमति दिये जाने के आवेदन को इस आधार पर कलेक्टर जिला उमरिया के आदेश कीपुष्टि की है, कि अनुविभागीय अधिकारी पाली जिला उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक 18.8.17 के अवलोकन से विक्रय की जारही भूमि डब्लू.सी.एल. कालरी द्वारा अधिग्रहित आराजी

निरंतर...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–अपील/उमरिया/भू.रा./2018/491

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	अपील की प्रचलशीलता पर अपीलांट के अभिभाषक के प्रारंभिक सुने जा चुक हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 99/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–12–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलांट के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम गोरईया में खसरा नंबर 348/1/2 ख रकबा 0.011 हैक्टर है जिसके विक्रय की अनुमति कलेक्टर उमरिया से चाही गई थी, किन्तु कलेक्टर उमरिया ने अपीलांट की आवश्यकता एंव परिस्थितियों पर विचार किये बिना प्रकरण क्रमांक 20 अ 21/16–17 में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 से गलत आधारों पर अपीलांट का विक्रय अनुमति अनुमति आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्व जब अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील की गई , अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 99/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–12–2017 से प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त करने में भूल की है। अपीलांट की विषम परिस्थितियां हैं एंव वाद विचारित भूमि अपीलांट के लिये अनावश्यक हो गई है इसलिये विक्रय की अनुमति देते हुये अपील स्वीकार की जावे। 3/ अपीलांट के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 99/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–12–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम	

गोरईया स्थित खसरा नंबर 348/1/2 ख रकबा 0.011 हैक्टर भूमि डव्ल्यू0सी0एल0 कालरी व्दारा अधिग्रहीत आराजी है जिसके कारण कलेक्टर उमरिया ने अपीलांट को पात्र न होने के आधार पर इस भूमि के विकय की अनुमति नहीं दी है एंव इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने आदेश दिनांक 4–12–2017 से प्रथम अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 99/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–12–2017 में किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है जिसके कारण विचाराधीन अपील सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य